न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर लालसोट जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी	:–	मनमोहन मीना, आर.ए.एस. अति0 जिला कलक्टर, लालसोट
मुकदमा नंबर	:–	जीसीएमएस नंबर 2025/30 मैन्युअल नंबर 06/2025
रजु दिनांकः	:–	12.05.2025

हरिनारायण पुत्र रामचन्द उम्र 74 वर्ष जाति मीना निवासी निर्झरना तहसील निर्झरना जिला दौसा राज0

(निगरानीकर्त्ता)

बनाम

1. सुजा देवी पत्नी कैलाश
2. गौरा देवी पत्नी बाबू गुर्जर
3. रामगोपाल पुत्र फैलीराम

} जाति गुर्जर निवासी ग्राम चांदसैन तह0 लालसोट जिला दौसा राज0

4. ग्राम पंचायत चांदसैन द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत चांदसैन तहसील लालसोट जिला दौसा राज0
5. ग्राम विकास अधिकारी जरिये ग्राम पंचायत चांदसैन तहसील लालसोट जिला दौसा राज0
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट जिला दौसा राज0

(गैर निगरानीकर्त्ता)

उपस्थितः– 01. निगरानीकर्त्ता की ओर से : श्री ओमप्रकाश सैनी एडवोकेट
02. गैर निगरानीकर्त्ता नं. 1 व 2 की ओर से: श्री विजय कुमार शर्मा एडवोकेट

निर्णय दिनांकः 13-5-26

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 15.08.2018 बाबत पट्टा संख्या 6 योग्य अधीनस्थ ग्राम पंचायत चांदसैन तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकार की ओर से एक निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 15.08.2018 बाबत पट्टा संख्या 6 योग्य अधीनस्थ ग्राम पंचायत चांदसैन तहसील लालसोट जिला दौसा इस आशय की पेश की गई कि आबादी भूमि खसरा नं0 53 के वर्तमान आराजी खसरा नं0 3

79/53 वाकै ग्राम चांदसैन कॉलेज के सामने तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित है। जिसमें एक भूखण्ड जिसकी नाप 41.66 वर्गगज है। जिसकी चतुर्थ सीमा अंकित करते हुए निगरानीकार ने कथन किया है कि सीमांकन के मध्य स्थित उक्त खाली भूखण्ड 41.66 वर्गगज निगरानीकार का क्रय शुदा स्वामित्व आधिपत्य का आबादी में भूखण्ड स्थित है। उक्त

अति0 जिला कलक्टर लालसोट (दौसा)

भूखण्ड निगरानीकार ने दिनांक 20.10.2008 को जरिये स्टाम्प गैर निगरानीकार संख्या 3 विक्रेता रामगोपाल पुत्र फैलीराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम चांदसैन तहसील लालसोट जिला दौसा से क्रय किया था तब से ही निगरानीकार का आधिपत्य व कब्जा निर्बाध रूप से चला आ रहा है। निगरानीकार ने उक्त भूखण्ड पर करीबन 10 ट्रोली पत्थर डाल रखे है। गैर निगरानीकार संख्या 1 व 2 का उक्त भूखण्ड से किसी भी प्रकार का कोई संबंध सरोकार वास्ता नही है ना ही कभी कोई आधिपत्य रहा है ना ही वर्तमान में है। जबकि गैर निगरानीकार संख्या 1 व 2 व उसके परिवारजन उक्त प्रश्नगत पट्टे की भूमि के भू भाग से करीबन 2 किलोमीटर दूरी पर निवास करता है जहां पर उसकी चल अचल सम्पत्ति स्थित है फिर भी ग्राम पंचायत चांदसैन के तत्कालीन सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी से मिली भगत करके आपस में एक साजिश के तौर पर स्वयं गैर निगरानीकार संख्या 1 व 2 को अनुचित रूप से फायदा उठाने के उद्देश्य से अपने हक में प्रश्नगत पट्टा जिसकी नाप 66.66 वर्गगज का गुपचुप में गैर कानूनी तरीके से गैर निगरानीकार संया 1 व 2 के हक में पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 158 के अधीन भूमि आवंटन कर नियम विरूद्ध प्रश्नगत पट्टा जारी कर दिया गया जो निरस्तनीय है।

निगरानीकार ने अपनी निगरानी में अभिवचन किए है कि ग्राम पंचायत चांदसैन द्वारा मौके पर कब्जे के विपरीत, निगरानीकार को बिना सूचना सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान किए एवं बिना मौका निरीक्षण किए छल व चतुराई पूर्वक विधि एवं प्रक्रिया के सुस्थापित सिद्धांतो की अनदेखी अवहेलना करते हुए प्रश्नगत पट्टा जारी किया गया है जो प्रथमतः ही काबिल खारिज योग्य है।

निगरानीकार ने निगरानी के साथ प्रार्थना पत्र दफा 5 कानूनी मियाद एवं प्रार्थना पत्र दफा 96 जा0दी0 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश करते हुए निगरानीकार की निगरानी स्वीकार फरमाकर प्रश्नगत पट्टा संख्या 06 दिनांक 15.08.2018 ग्राम पंचायत चांदसैन तहसील लालसोट को खारिज फरमाने का निवेदन किया।

निगरानीकार की निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर गैर निगरानीकारान की तलवी की गई। निगरानीकार की ओर से गैर निगरानीकार संख्या 3 का नाम हजफ फरमाने बाबत प्रार्थना पत्र दिनांक 11.03.2026 को स्वीकार किया गया। ग्राम पंचायत चांदसैन से प्रश्नगत पट्टे से संबंधित मूल अभिलेख तलब किए जाने पर ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत चांदसैन द्वारा अपने पत्र क्रमांकः 192 दिनांक 09.03.2026 के माध्यम से उक्त पट्टे से संबंधित पत्रावली ग्राम पंचायत के रिकार्ड में नही होना अवगत करवाया गया है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता निगरानीकार द्वारा बहस के दौरान निगरानी के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम पंचायत चांदसैन द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 1 व 2 के हक में प्रश्नगत पट्टा संख्या 6 दिनांक 15.08.2018 जारी किया गया है। राजस्थान पंचायतराज नियम 1996 के नियम 158 के तहत पुराना कब्जा/मकानात होने पर ही पट्टे दिये जाने का प्रावधान है। इकरारनामे में यह स्पष्ट है कि उक्त पट्टे से संबंधित भू खण्ड खसरा नं0 53 में कहां स्थित है। जिस जगह का ये पट्टा जारी हुआ वह जगह पहले रामगोपाल पुत्र फैलीराम के नाम थी। रामगोपाल पुत्र फैलीराम ने उक्त 15X25 का कब्जाशुदा भूखण्ड निगरानीकार को बेच दिया। प्रश्नगत पट्टा बिना नियम प्रक्रिया के गलत तरीके से अवैध जारी किया गया है। प्रश्नगत पट्टे में दिशाएं भी अंकित नही है। ग्राम पंचायत में पट्टे का मूल रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार कथन करते हुए निगरानीकार ने निगरानी स्वीकार कर प्रश्नगत पट्टा संख्या 6 दिनांक 15.08.2018 खारिज फरमाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता निगरानीकार ने अपनी निगरानी के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये हैः—

1. Rajasthan High Court (Jaipur Bench) Prabhatilal v/s Additional District Collector Sikar & Ors 2011 (2) RRT 1219 S.B. Civil Writ Petition No. 10290 of 2009

अति० जिला कलक्टर
लालसोट (दौसा)

2. Rajasthan High Court Ghewar Chand & Anr Vs. State of Rajasthan & Ors. 2017(3) CJ(Civ.) (Raj.) 1488
3. Rajasthan High Court Budhmal v/s Additional District Collector Jalore 2017 (2) CJ (civ) Raj 1274
4. Rajasthan High Court Mohan Kanwar v/s Additional District Collector Pali 2018(1) CJ (Civ) Raj 572
5. Rajasthan High Court Ghewar Chand & Anr. Vs. State of Rajasthan & Ors. 2017(3) CJ(Civ) (Raj.) 1488
6. Rajasthan High Court Shanti Devi Bishnoi Vs. State of Rajasthan Thro' District Collector Barmer

अधिवक्ता गैर निगरानीकार नं0 1 व 2 ने बहस के दौरान निवेदन किया कि गैर निगरानीकार का पट्टा 66.66 वर्ग गज का है। निगरानीकार द्वारा 2008 में 20 रूपये के स्टाम्प पर विक्रय का इकरार होना बताया गया है। गैर निगरानीकार नं0 1 व 2 का पट्टा वर्ष 2018 का है। निगरानीकार ने वर्ष 2008 से 2018 तक उक्त भूमि का पट्टा क्यों नही लिया। प्रश्नगत पट्टा रजिस्टर्ड है इसके लिए सिविल कोर्ट में विशेष परफोर्मेंस का दावा करना चाहिए था। उक्त भूमि सरकारी आबादी भूमि है। निगरानीकार वर्ष 2018 से 2025 तक प्रश्नगत पट्टे की निगरानी क्यों नहीं लाएं। निगरानीकार कब उक्त भूमि पर काबिज हुए यह भी स्पष्ट नही है। पट्टा शाश्वत लीज है। इस प्रकार कथन करते हुए अधिवक्ता गैर निगरानीकार नं. 1 व 2 ने निगरानी को सारहीन होने के कारण खारिज फरमाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम विकास अधिकारी की रिपोर्ट दिनांक 09.03.2026 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत पट्टे से संबंधित मूल पत्रावली ग्राम पंचायत के अभिलेख में उपलब्ध नही है। मूल पत्रावली की अनुपलब्धता के कारण ग्राम पंचायत द्वारा पंचायतराज नियमों के तहत ही पट्टा जारी किया गया है, यह तथ्य भी पुष्ट नहीं किया जा सकता है। निगरानीकार ने प्रश्नगत पट्टे से संबंधित भूखण्ड विक्रेता रामगोपाल से जरिये स्टाम्प क्रय कर निगरानीकार का कब्जा वर्ष 2008 से होना अंकित किया है जबकि गैर निगरानीकार ने उक्त भूमि पर अपने कब्जे के संबंध में कोई दलील पेश नहीं की है। जहां तक प्रश्न विद्वान अधिवक्ता गैर निगरानीकार नं0 1 व 2 की ओर से दी गई इस दलील का है कि पट्टा रजिस्टर्ड होने के कारण मामला सिविल कोर्ट के समक्ष ही चलना चाहिए। इस संबंध में अधिवक्ता निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत "Rajasthan High Court Ghewar Chand & Anr Vs. State of Rajasthan & Ors. 2017(3) CJ(Civ.) (Raj.) 1488" प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होता है। उक्त न्यायिक दृष्टांत में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि "राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994–धारा 97–पंजीकृत पट्टे की वैधानिकता को चुनौती देने हेतु पुनरीक्षण की व्याप्ति–पट्टे का पंजीकरण केवल एक आनुषंगिक घटना है तथा जब पट्टा उसे प्राप्त किये जाने वाले नियमों के विरोधकारी पाया जाय तो केवल उसका पंजीकृत हो जाना एक सुरक्षित शरण के रूप में नहीं माना जा सकता–ऐसे पट्टे को सक्षम प्राधिकारी द्वारा रद्द का आनुषंगिक प्रभाव उसके पंजीकरण को निष्प्रभावी तथा गैर आनुषंगिक ठहरा देगा"

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर न्यायालय की राय में निगरानीकार की निगरानी स्वीकार योग्य है। अतः निगरानीकार की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत चांदसैन द्वारा जारी पट्टा संख्या 06 दिनांक 15.08.2018 निरस्त किया जाकर प्रकरण ग्राम पंचायत चांदसैन को इस आशय से रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में उभय पक्षकारान को विधिवत साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए संबंधित नियमों के परिप्रेक्ष्य में जांच कर नियमानुसार पुनः पट्टा जारी करने की कार्यवाही करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 13/5/26 को सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

अति० जिला कलक्टर
लालसोट (दौसा)

(मनमोहन मीना आरएएस)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
लालसोट,दौसा